



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102020-222757
CG-DL-E-27102020-222757

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450]
No. 450]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 26, 2020/ कार्तिक 4, 1942
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2020/KARTIKA 4, 1942

बैंक ऑफ़ इंडिया

(मानव संसाधन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2020

फा. नं. बीओआई/एचओ/एचआर/आईआर/जीएस/एल-241(ई).--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित, धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ़ इंडिया का निदेशक मंडल केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श के पश्चात, एतद्-द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

1. (1) ये विनियम बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियमन, 2020 कहलाएंगे.

(2) इन विनियमों में जब तक अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, उन्हें 1 नवंबर, 2012 से प्रभावी माना जाएगा.

2. बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 में (इसमें इसके पश्चात कथित विनियमन के रूप में संदर्भित), विनियम 3 में, खंड (एफ), के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

'(एफ) "परिवार" से अभिप्राय है अधिकारी की पत्नी/पति, अधिकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित अविवाहित बच्चे (जिसमें सौतेले एवं कानूनन गोद लिये गये बच्चे भी शामिल हैं), 40% या अधिक दिव्यांगता वाले पूर्णतः आश्रित शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग भाई या बहन, विधवा पुत्री और आश्रित तलाकशुदा या अलग रह रही पुत्री, बहनें जिनमें अविवाहित या पति से अलग या तलाकशुदा या परित्यक्त या विधवा बहन शामिल हैं, और अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता और विवाहित महिला अधिकारी के मामले में उनके नैसर्गिक माता-पिता या सास-ससुर, लेकिन दोनों नहीं.

स्पष्टीकरण - “पूर्ण रूप से आश्रित” से अभिप्राय परिवार के ऐसे सदस्य से है जिनकी आय रु.10,000/- प्रतिमाह से अधिक न हो और जहां पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्य माता-पिता हैं, किसी एक की मासिक आय या माता-पिता दोनों की सकल आय रु. 10,000/- प्रति माह से अधिक है तो दोनों माता-पिता अधिकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं माने जाएंगे.’

3. उप-विनियम (6) के लिए कथित विनियमन के विनियम 4 में, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा-

“(6) 1 नवंबर 2012 से प्रत्येक ग्रेड के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

(ए) उच्च कार्यपालक ग्रेड:

वेतनमान - VII - रु. 76520 -2120/4-85000

वेतनमान - VI - रु. 68680-1960/4-76520

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान - V- रु. 59170-1650/2-62470-1800/2-66070

वेतनमान - IV - रु. 50030-1460/4-55870-1650/2-59170

(सी) मध्य प्रबंधन ग्रेड

वेतनमान III - रु. 42020-1310/5-48570-1460/2-51490

वेतनमान II - रु. 31705-1145/1-32850-1310/10-45950

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड:

वेतनमान I - रु. 23700-980/7-30560-1145/2-32850-1310/7-42020

स्पष्टीकरण - प्रत्येक अधिकारी जो यथा 31 अक्टूबर, 2012 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित है उसे यथा 1 नवंबर, 2012 को इस उप विनियम के अनुसार निर्धारित वेतनमान में चरणवार आधार पर, अथवा संबंधित वेतनमान में प्रथम चरण से तदनु रूप चरण पर नियत किया जाएगा तथा हमेशा की तरह वर्षगांठ तारीख को वेतनवृद्धि देय होगी।

(7) उप विनियम (1), (2), (3), (4), (5) और (6) में उल्लिखित किसी भी बात का आशय यह नहीं होगा कि बैंक, पूरे समय इन श्रेणियों में अधिकारियों को सेवारत रखे.

(8) 1 नवंबर, 2012 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा :

वेतनमान I - III = मूल वेतन का 7.75% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV-V=मूल वेतन का 10% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI-VII- मूल वेतन का 11% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

(9) 26 अक्टूबर, 2020 को और इसके बाद शीर्ष कार्यपालक ग्रेड में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए वेतनमान और विशेष भत्ता निम्नानुसार होगा:

(ए) उच्च कार्यपालक ग्रेड

स्केल VIII - रु. 1,03,000 - 2,700/3 – 1,11,100 - 2,800/1 – 1,13,900

(बी) विशेष भत्ता

वेतनमान VIII = मूल वेतन का 11 % + उस पर लागू महंगाई भत्ता:

बशर्ते कि इस उप-विनियम में उल्लिखित किसी भी बात का आशय यह नहीं होगा कि बैंक पूरे समय इन श्रेणियों में अधिकारियों को सेवारत रखे.

नोट: अधिवर्षिता लाभ जैसे पेन्शन, जिसमें न्यू पेन्शन स्कीम, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी शामिल हैं, के परिकलन हेतु उप-विनियम (8) और (9) में निर्दिष्ट विशेष भत्ते और उस पर लागू महंगाई भत्ते की गणना नहीं की जाएगी।"

4. कथित विनियमन के विनियम 5 में, -

i) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :

“(1)दिनांक 1 नवंबर 2012 को और उसके बाद से विनियम 4 के उप विनियम (6) के प्रावधानों के अधीन वेतनवृद्धियाँ निम्नलिखित के अध्यक्षीन प्रदान की जाएंगी, यथा:-

ए. विनियम 4 के उप विनियम (6) में वर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियाँ, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यक्षीन वार्षिक आधार पर देय होंगी और जिस महीने में यह देय होती हों उस महीने की पहली तरीख को प्रदान की जाएगी;

बी. वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को अपने संबंधित वेतनमान में अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक साल बाद खंड (सी) में निर्दिष्ट अनुसार अगले उच्च वेतनमान में स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि सहित और वेतन वृद्धि दी जाएगी बशर्ते कि उन्होंने दक्षतारोध को पार किया है;

सी. कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I का अधिकारी जो विनियम (बी) के अनुरूप अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के पश्चात मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II में पहुंचा है, वह प्रत्येक 3 वर्षों की पूर्ण की गई सेवा के लिए चार स्टैग्नेशन वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होगा, जो रु.1310/- की दो वेतनवृद्धियां तथा उसके बाद रु.1460/- की दो वेतनवृद्धियां होंगी.

डी. मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान-II का अधिकारी जो विनियम (बी) के अनुरूप अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के पश्चात मध्य प्रबंधन ग्रेड-III के वेतनमान में पहुँचा है वह प्रत्येक तीन साल की सेवा पूरा करने पर रु.1460/- की तीन स्टैग्नेशन वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होगा और तीसरी

स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के 2 वर्ष बाद चौथी स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि रु. 1460/- के लिए पात्र होगा:

बशर्ते, कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने तीसरी स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि के बाद दो वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें 1 मई, 2015 से चौथी स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी.

ई. अधिष्ठायी मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III में अधिकारीगण (जो मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III में भर्ती हुए हैं अथवा पदोन्नत हुए हैं) प्रत्येक तीन साल की सेवा पूर्ण करने के बाद रु 1460/- की तीन स्टैग्नेशन वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे और जिन अधिकारियों ने यथा 1 मई, 2015 को तीसरी स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि प्राप्त होने के दो वर्ष या अधिक पूर्ण किए हैं, वे रु.1460/- की चौथी वेतनवृद्धि और चौथी वेतनवृद्धि प्राप्त होने के दो वर्षों के बाद रु.1460/- की पांचवी स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि जिस अधिकारी ने चौथी स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि के बाद दो वर्ष पूरे कर लिए हैं उसे 1 मई, 2015 से पाँचवी स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि प्राप्त होगी.

एफ. 1 मई, 2015 से वरिष्ठ प्रबन्धन ग्रेड वेतनमान - IV के अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के तीन वर्षों के बाद रु.1650/- की एक स्टैग्नेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे:

बशर्ते कि इस तरह की वेतनवृद्धियां उन अधिकारियों को नहीं दी जाएंगी, जिन्होंने पदोन्नत किए जाने पर पदोन्नति लेने से मना कर दिया है.

स्पष्टीकरण: - इस उप-विनियम के तहत अगले उच्च वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धियों का दिया जाना, पदोन्नति नहीं मानी जाएगी और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलब्धियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियां उनके मूल पदों के अनुरूप जारी रहेंगी."

ii) उप-विनियम (2) में, स्पष्टीकरण में, खंड (एफ) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, यथा:

“(जी) 1 नवंबर 2012 को और उसके बाद से, अन्य सारी बातों के समान रहने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन (पीक्यूपी) को निम्न तालिका के अनुसार संशोधित किया गया है:

तालिका

| (1) | (2) |
|--|--|
| जिन्होंने जूनियर एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (जेएआईआईबी) या सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईबी) - भाग 1 उत्तीर्ण किया है | अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के एक वर्ष पश्चात रु.670/- प्रति माह |
| जिन्होंने सर्टिफाइड एसोशिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं | (i) अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के एक वर्ष पश्चात रु.670/- प्रति माह (ii) अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के दो वर्ष पश्चात रु.1680/- प्रति माह |

बशर्ते कि अगर कोई अधिकारी जेएआईआईबी/ सीएआईआईबी परीक्षा (कोई एक भाग/ दोनों भाग) अपने वेतनमान की उच्चतम सीमा पर पहुँचने के बाद पास करता है, उसे उस दिन, जिस दिन उसने उक्त योग्यता प्राप्त की है, से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त प्रदान की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की परवर्ती किस्तें व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त प्राप्त होने की तारीख के अनुरूप जारी की जाएंगी."

iii) उप-विनियम (3) में, खंड (ई) के तहत तालिका के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, यथा :-

“(एफ) 1 नवंबर, 2012 को और उसके बाद से, अन्य बातों के समान होने पर स्थायी वैयक्तिक वेतन (एफपीपी) के साथ-साथ मकान किराया भत्ता निम्नलिखित दर पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेगा.

तालिका

| वेतनवृद्धि घटक (रु) | यथा 01.11.2012 को वेतनवृद्धि घटक पर महंगाई भत्ता (रु) | कुल देय स्थायी वैयक्तिक वेतन जहाँ बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया हो (रु) |
|---------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1310 | 143 | 1453 |
| 1460 | 159 | 1619 |
| 1650 | 180 | 1830 |
| 1800 | 196 | 1996 |
| 1960 | 214 | 2174 |
| 2120 | 231 | 2351 |

नोट:

“(i) इस उप-विनियम के खंड (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) में तालिकाओं के कॉलम (3) में उल्लिखित अनुसार स्थायी वैयक्तिक भत्ता या स्थायी वैयक्तिक वेतन ऐसे अधिकारियों को दिया जाएगा, जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है.

(ii) मकान किराया भत्ता पाने के पात्र अधिकारियों के लिए स्थायी वैयक्तिक भत्ता या स्थायी वैयक्तिक वेतन, खंड (एफ) के तहत की तालिका के कॉलम (1) एवं (2) में विनिर्दिष्ट राशि तथा विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), और (6) में विनिर्दिष्ट संबन्धित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि के समय संबन्धित अधिकारी द्वारा लिए जा रहे मकान किराया भत्ते की राशि का कुल जोड़ होगा.

(iii) केवल ऐसे अधिकारी जो बैंक की सेवा में 1 नवंबर, 1993 को या उससे पहले थे, वे अपने संबन्धित वेतनमान में अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के एक वर्ष पश्चात स्थायी वैयक्तिक वेतन पाने के लिए पात्र होंगे.

(iv) 1 नवंबर, 1999 को और उसके बाद से स्थायी वैयक्तिक वेतन के जारी होने के कारण उप विनियम(2) की व्याख्या (सी) के अनुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन के जारी होने की समयावधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

बशर्ते कि पहले के प्रावधानों के कारण यदि व्यावसायिक योग्यता वेतन से संबंधित कोई किस्त एक वर्ष आगे बढ़ जाती है और जो 01 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी होनी है, तो यह संबंधित अधिकारी को उस तारीख को और उस दिन से जारी होगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 01 नवंबर, 2000 को जारी होगी।

(v) स्थायी वैयक्तिक भत्ता या स्थायी वैयक्तिक वेतन के वेतन वृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभ के लिए पात्र माना जाएगा।

(vi) जिस अधिकारी ने इस उप-विनियम के खंड (ए) में उल्लिखित अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि ले ली हो वह अधिकतम वेतनमान में पहुंचने के एक वर्ष पश्चात उपर्युक्त खंड (बी), (सी), (डी), (ई) या (एफ) में उल्लेखानुसार स्थायी वैयक्तिक भत्ता या स्थायी वैयक्तिक वेतन प्राप्त करेगा।

(जी) 26 अक्टूबर 2020 को और उसके बाद से, अन्य बातों के समान होने पर, स्थायी वैयक्तिक वेतन के साथ-साथ मकान किराया भत्ता, यदि कोई हो, उच्च कार्यपालक ग्रेड वेतनमान-VIII में मुख्य महाप्रबंधक के पद के लिए, निम्नलिखित दर पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेगा :

तालिका

| वेतनवृद्धि घटक (रु) | वेतनवृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता (रु) | कुल देय स्थायी वैयक्तिक वेतन जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है (रु) |
|------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 2800 | 305 | 3105 |

5. विनियम 7 के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

यथा:--

“7. वर्गीकरण. – (1) 26 अक्टूबर 2020 को और उसके बाद से और विनियम 6 के प्रावधानों के अधीन, बैंक में अधिकारियों के विभिन्न पदों को निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

तालिका

| पद | ग्रेड या वेतनमान जिसमें कार्यरत हैं |
|------------------|-------------------------------------|
| मुख्य महाप्रबंधक | उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल -VIII |
| महाप्रबंधक | उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल -VII |
| उप महाप्रबंधक | उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल -VI |
| सहायक महाप्रबंधक | वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल -V |
| मुख्य प्रबंधक | वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल -IV |
| वरिष्ठ प्रबंधक | मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल -III |
| प्रबंधक | मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल -II |
| अधिकारी | कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल -I |

(2) यदि उपरोक्त वर्गीकरण से कोई कठिनाई या विसंगति उत्पन्न होती है, तो इसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से संबंधित समिति के पास भेजा जाएगा जो इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।”

6. कथित विनियमन के विनियम 21 में, उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :--

“(6) दिनांक 1 नवंबर, 2012 को तथा इसके बाद से, महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के तिमाही औसत में 4440 पॉइंट के ऊपर चार पॉइंट की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से वेतन के 0.10% की दर से देय होगा।

स्पष्टीकरण. - इस उप-विनियम के उद्देश्य के लिए, -

(ए) महंगाई भत्ते के लिए "वेतन" से आशय स्टैन्डेशन वेतन वृद्धियों और विशिष्ट भत्ते सहित मूल वेतन से है;

(बी) व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन, जैसा कि विनियम 5 के उप-विनियम (2) में स्पष्टीकरण के खंड (सी), (डी), (ई), (एफ) और (जी) में विनिर्दिष्ट किया गया है, को महंगाई भत्ते की गणना हेतु लिया जाएगा".

7. कथित विनियमन के विनियम 22 में, -

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :--

"(1) 1 नवंबर, 2012 को तथा उसके बाद से -

(ए) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की गई है तो वह जिस वेतनमान में है उस वेतनमान के प्रथम चरण के 0.75 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, की वसूल उससे की जाएगी;

(बी) यदि अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा नहीं प्रदान की गई हो, तो वह निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होगा:-

तालिका

| कार्यस्थल | मकान किराया भत्ता |
|--|-------------------|
| (1) | (2) |
| (i) प्रमुख "ए" श्रेणी के शहर तथा समूह ए में प्रोजेक्ट एरिया केन्द्र | वेतन का 9.0% |
| (ii) क्षेत्र 1 में अन्य स्थान तथा समूह बी में प्रोजेक्ट एरिया केन्द्र तथा गोवा राज्य | वेतन का 8.0% |
| (iii) अन्य स्थान | वेतन का 7.0% |

वर्तते कि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम चरण के वेतन के 0.75 प्रतिशत से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया देय होगा जो ऊपर कॉलम (2) में दर्शायी गयी दरों के अनुरूप देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150 प्रतिशत होगा.

नोट: अधिकारी के अपने स्वामित्व वाले आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के दावे भी, पहले के समान, मकान किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित होंगे.";

(ii) उप-विनियम 2 हटा दिया जाएगा."

8. कथित विनियमन के विनियम 23 में,--

(ए) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) एवं (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :--

"(1) दिनांक 1.11.2012 को और उसके बाद से यदि अधिकारी निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित किसी स्थान पर कार्यरत है तो उसे, स्थान के सामने कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा:—

| स्थान | दर |
|--|--|
| (1) | (2) |
| (i) क्षेत्र I और गोवा राज्य के स्थान | मूल वेतन का 4% जो अधिकतम रु. 870/- प्रतिमाह के अधीन होगा |
| (ii) पांच लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पुदुचेरी और पोर्ट ब्लेयर. | मूल वेतन का 3% जो अधिकतम रु. 600/- प्रतिमाह के अधीन होगा |

- (2) दिनांक 1 नवंबर, 2012 से, विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाएंगी।
- (3) दिनांक 1 नवंबर, 2012 और उसके बाद से यदि कोई अधिकारी ऐसे क्षेत्र में सेवारत है जिसे समूह 'ए' या समूह 'बी' के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट एरिया के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है तो वह समूह 'ए' के लिए रु. 400/- प्रतिमाह और समूह 'बी' के लिए रु. 350/- प्रतिमाह की दर से प्रोजेक्ट एरिया प्रतिपूरक भत्ता पाने के लिए पात्र होगा।
- (4) दिनांक 1 जून, 2015 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, और यदि उसके एक या एक से अधिक बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं तो जिस तारीख को अधिकारी नई जगह पर रिपोर्ट करता है, उस तारीख से उसे शैक्षिक वर्ष के अंत तक, सभी बच्चों के लिए रु. 1100/- प्रति माह मध्य शैक्षिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता दिया जाएगा, परंतु यदि उसके सभी बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर देते हैं तो यह भत्ता मिलना बंद हो जाएगा।
- (5) दिनांक 1 जून 2015 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर किसी सेवा के लिये प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है अथवा वह विकल्प के रूप में अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 7.75% अधिकतम रु. 4000/- प्रति माह के अध्यक्षीन प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते।

यदि प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में उसे प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो उसे उसके वेतन का 4%, अधिकतम रु.2000/- प्रति माह के अध्यक्षीन प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

यदि किसी अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 4% अधिकतम रु. 2000/- प्रति माह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा।

- (बी) उप-विनियम (8) के लिए निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(8) दिनांक 1 नवंबर 2012 को और उसके बाद से यदि कार्य-समय दिन दो भागों में बंटा हुआ है और कार्य समय के इस विभाजन में कम से कम दो घंटे का अंतराल है तो उस अधिकारी को रु.200/- प्रति माह विभाजित कार्य-समय भत्ता दिया जाएगा।”

- (सी) उप-विनियम (10) के अनुसार:

(ए) अंकों, अक्षरों और शब्दों के लिए “नवंबर 2007 की पहली तारीख”, के स्थान पर “नवंबर 2012 की पहली तारीख”, अंकों, अक्षरों और शब्दों में प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(बी) तालिका के लिए, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित होगी, यथा:

तालिका

| स्थान | दर |
|---|--|
| (1) | (2) |
| (i) 1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मेरकरा नगर | वेतन का 2% अधिकतम रु. 750/- प्रति माह के अध्यक्षीन |
| (ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान | वेतन का 2.5% अधिकतम रु.1000/- प्रति माह के अध्यक्षीन |
| (iii) 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाला स्थान | वेतन का 5% अधिकतम रु. 2000/- प्रति माह |

9. कथित विनियमन के विनियम 24 के अनुसार :-

- (i) उप-विनियम (1), के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(1) दिनांक 1 नवंबर 2012 को और उसके बाद से अधिकारी स्वयं और अपने परिवार हेतु चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार दावा की गई राशि के लिए खातों की विवरणी के साथ ऐसा व्यय करने के स्वयं के प्रमाणपत्र के आधार पर पात्र होगा, यथा :-

तालिका

| ग्रेड | प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा |
|--|---|
| (1) | (2) |
| कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड और मध्य प्रबंधन ग्रेड | रु.8000/- प्रतिवर्ष या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो |
| वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड और उच्च कार्यपालक ग्रेड | रु.9050/- प्रतिवर्ष या व्यय की गई राशि, जो भी कम हो |

नोट:

- (i) अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति अधिकारी को दी जा सकती है परंतु वह किसी भी समय ऊपर दी गई अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए; या
- (ii) वर्ष 2012 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति 2 महीने, यथा नवंबर, 2012 और दिसंबर 2012 के लिए समानुपातिक रूप में बढ़ाई जाएगी.

(1ए) कोई अधिकारी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नियम एवं शर्तों के अनुसार अपने और अपने परिवार के लिए चिकित्सा बीमा सुविधा के लिए पात्र होगा.”

10. कथित विनियमन के विनियम 25 में, उप विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(2) उप-विनियम (1) में चाहे कुछ भी कहा गया हो, यदि बैंक चाहे तो अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी दिनांक 01 नवंबर 2012 को और इसके बाद से अपने वेतनमान के प्रथम स्तर के 0.75% के समान या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, का भुगतान करेगा:

बशर्ते यदि ऐसे आवास पर अधिकारी को फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.15% के बराबर अतिरिक्त राशि उससे वसूल की जाएगी.

बशर्ते यह भी कि जहां बैंक द्वारा ऐसा रिहाइशी आवास उपलब्ध कराया जाता है, तो बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार, अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे.”

11. कथित विनियमन के विनियम 33 में, उप विनियम (4) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

“(4) दिनांक 1 जून 2015 को और उसके बाद से, ऐसी स्थिति को छोड़कर जहां अवकाश के लिए आवेदन किया गया है और उसे अस्वीकृत कर दिया गया हो, अधिकतम 270 दिन तक का अर्जित अवकाश ही संचित किया जा सकता है :

बशर्ते कि अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 240 दिनों की होगी.

बशर्ते कि अर्जित अवकाश लेने के इच्छुक अधिकारी सामान्यतः ऐसा अवकाश लेने के अपनी इच्छा की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व देंगे.

12. कथित विनियमन के विनियम 34 में, उप विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किया जाएगा, यथा:-

“(4) दिनांक 1 जून, 2015 को और उसके बाद से, किडनी/ अंग दान करने के लिए अधिकारी की पूरी सेवा अवधि के दौरान उन्हें 30 दिनों तक की विशेष बीमारी अवकाश प्रदान की जा सकती है.

13. कथित विनियमन के विनियम 34 में, उप विनियम (2) और (3) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(2) 25 मई 2015 से, निःसंतान महिला अधिकारी को एक वर्ष से कम उम्र के शिशु को कानूनी रूप से गोद लेने हेतु सेवा के दौरान निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए एक बार अवकाश प्रदान किया जा सकता है:

- (i) केवल एक शिशु गोद लेने हेतु अवकाश स्वीकृत किया जाएगा.
- (ii) शिशु उचित कानूनी प्रक्रिया से गोद लिया जाना चाहिए तथा अधिकारी को ऐसे अवकाश की स्वीकृति हेतु बैंक को दत्तक विलेख प्रस्तुत करना होगा.
- (iii) बयोलॉजिकल मां को उन मामलों में भी छुट्टी मिलेगी जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ है, और
- (iv) समग्र सेवा अवधि के दौरान 12 महीने की कुल पात्रता के अंतर्गत छुट्टी ली जा सकती है.

(3) दिनांक 25 मई 2015 से, 12 महीने की समग्र अवधि के भीतर, हिस्टरेक्टमी के मामले में भी अधिकतम 60 दिनों तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है.

(4) मातृत्व अवकाश, जो कि वास्तविक वेतन पर होगा, किसी महिला अधिकारी को किसी एक अवसर पर 6 महीने से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा और उनकी समग्र सेवा अवधि के दौरान 12 महीने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है.

12 माह की समग्र अवधि में, गर्भश्राव, गर्भपात या मेडिकल तौर पर गर्भपात कराने की स्थिति में भी छुट्टी प्रदान की जा सकती है.

(5) 1 जून 2015 से दो जीवित बच्चों तक वाले पुरुष अधिकारी अपनी पत्नी की प्रसूति के दौरान 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगे. यह अवकाश आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है.

बशर्ते कि इस अवकाश के लिए बच्चे की डिलीवरी की तारीख से 15 दिन पहले या डिलीवरी से 6 महीने तक आवेदन किया जाता है.”

14. कथित विनियमन के विनियम 38 के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(38) अवकाश का व्यपगत (लैप्स) होना- निम्नलिखित को शामिल करते हुए, अधिकारी के त्यागपत्र, सेवा निवृत्ति, मृत्यु, डिस्चार्ज, बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति पर उसके समस्त अवकाश व्यपगत हो जाएंगे.”

बैंक सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला अधिकारी किसी भी अवधि के लिए, अपने द्वारा संचित अधिकतम 240 दिनों की अर्जित छुट्टी की परिलब्धियों के बराबर राशि के भुगतान हेतु पात्र होगा.

यदि किसी अधिकारी को दंड के रूप में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है, वह किसी भी अवधि के लिए अपने द्वारा संचित अधिकतम 240 दिनों की अर्जित छुट्टी की परिलब्धियों के बराबर राशि के भुगतान हेतु पात्र होगा.

यदि अधिकारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तारीख को उसके द्वारा संचित अधिकतम 240 दिनों की अर्जित छुट्टी की परिलब्धियों के बराबर राशि, उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को देय होगी.

विनियम 20 के उप-विनियम (2) के अनुसार उचित नोटिस देने के पश्चात 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद बैंक सेवा से त्याग पत्र देने वाला अधिकारी, सेवा की समाप्ति की तारीख को उसके द्वारा संचित अर्जित

छुट्टी में से आधी छुट्टियों, जो 120 दिनों से अधिक न हों, के नकदीकरण हेतु पात्र होगा.

15. कथित विनियमन के विनियम 41 के अनुसार;

(i) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

(1) 1 नवंबर 2012 को और उसके बाद से, जब भी किसी अधिकारी को कार्यालयीन उद्देश्य से यात्रा करनी होगी, ऐसी स्थिति में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, यथा:-

- (ए) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड का अधिकारी ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी अथवा एसी 2 टीयर स्लीपर से यात्रा करने के लिए पात्र है। वह हवाई जहाज (इकॉनमी) द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होगा बशर्ते कि कारोबार संबंधी आकस्मिकताओं अथवा लोक हित को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई हो।
- (बी) मध्यम प्रबंधन ग्रेड का अधिकारी ट्रेन द्वारा प्रथम ग्रेड अथवा एसी 2 टीयर स्लीपर से यात्रा के लिए पात्र है। वह हवाई जहाज (इकॉनमी क्लास) द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होगा बशर्ते कि यात्रा की जाने वाली दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक हो। वह कम दूरी के लिए भी हवाई जहाज (इकॉनमी क्लास) से यात्रा कर सकता है बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारोबार संबंधी आकस्मिकताओं अथवा लोक हित के संदर्भ में अनुमति दी गई हो।
- (सी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड अथवा उच्च कार्यपालक ग्रेड का अधिकारी ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी अथवा हवाई जहाज (इकॉनमी ग्रेड) से यात्रा करने के लिए पात्र है;
- (डी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड अथवा उच्च कार्यपालक ग्रेड का अधिकारी ऐसी जगह जहां पहुंचने हेतु हवाई जहाज अथवा रेल सुविधा न हो, ऐसे स्थान पर कार से यात्रा करने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि दूरी 500 किलोमीटर से अधिक ना हो; यदि दो स्थानों के बीच की अधिकतम दूरी हवाई जहाज अथवा रेल द्वारा तय की जा सकती है तो सामान्यतः केवल शेष दूरी कार द्वारा तय की जाए।
- (ई) कारोबार संबंधी आकस्मिकताओं को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी अन्य अधिकारी को, उसके वाहन अथवा टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा के लिए अनुमति दी जा सकती है।
- (एफ) किसी भी ग्रेड अथवा वेतनमान, का अधिकारी ऐसी जगह जो सड़क अथवा एयर या रेल से जुड़ा न हो, जल परिवहन के डिलक्स केबिन वर्ग से यात्रा करने के लिए पात्र होगा।

(ii) उप विनियम (4) में खण्ड (ए) और (बी) के लिए निम्नलिखित धाराओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“ए” 1 जून, 2015 से तथा इसके पश्चात नीचे दी गई तालिका के कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेड/ वेतनमान का अधिकारी सापेक्ष कॉलम 2 में उल्लिखित तदनुसूची दरों से प्रतिदिन विराम भत्ता पाने के लिए पात्र होगा, यथा :-

तालिका

| अधिकारियों का ग्रेड/ वेतनमान | महानगर (रु.) | प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर (रु.) | क्षेत्र-1 (रु.) | अन्य स्थान (रु.) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| (1) | (2) | | | |
| वेतनमान VI तथा ऊपर के अधिकारी | 1800 | 1300 | 1100 | 950 |
| वेतनमान IV तथा V के अधिकारी | 1500 | 1300 | 1100 | 950 |
| वेतनमान I/II/III के अधिकारी | 1300 | 1100 | 950 | 800 |

जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम है लेकिन चार घंटे से अधिक है, विराम भत्ता उपर्युक्त दरों का आधा देय होगा।

स्पष्टीकरण: विराम भत्ते की गणना के उद्देश्य से “प्रतिदिन” का अर्थ है 24 घंटे की प्रत्येक अवधि या उसकी कोई आंशिक अवधि जोकि हवाई जहाज द्वारा यात्रा किए जाने की स्थिति में प्रस्थान होने के लिए रिपोर्टिंग के समय से और अन्य मामलों में प्रस्थान के समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक को गणना में लिया जाएगा और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है वहां “प्रतिदिन” का अर्थ ऐसी अवधि है जो आठ घंटे से कम न हो।

(बी) 26, अक्टूबर 2020 को और उसके बाद से निम्न तालिका के कॉलम (1) में दर्शाए गए ग्रेड अथवा वेतनमान के अधिकारी को वास्तविक होटल व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जोकि इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एक कमरे के प्रभार की राशि के सापेक्ष कॉलम (2) में दर्शाए गए स्टार ग्रेड के कमरे के प्रभार तक सीमित है, जोकि निम्नानुसार है:

तालिका

| अधिकारियों का ग्रेड / वेतनमान | ठहरने की पात्रता |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2) |
| वेतनमान - VI, VII तथा VIII | 4 स्टार होटल |
| वेतनमान - IV तथा V | 3 स्टार होटल |
| वेतनमान - II तथा III | 2 स्टार होटल (गैर वातानुकूलित)) |
| वेतनमान - I | 1 स्टार होटल (गैर वातानुकूलित) |

केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल, प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक, अतिरिक्त सीमा निर्धारित कर सकता है।"

16. कथित विनियमन के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :--

“(3) 01 जून, 2015 को और उसके बाद, किसी अधिकारी के स्थानांतरण होने पर निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार वह पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा, आदि से जुड़े खर्चों के लिए एकमुश्त राशि के लिए पात्र होगा, जो इस प्रकार है:-

तालिका

| ग्रेड या वेतनमान | राशि |
|--|------------|
| (1) | (2) |
| शीर्ष कार्यपालक एवं वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड (वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी) | रु. 20,000 |
| मध्य प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड (वेतनमान III तक के अधिकारी) | रु.15,000” |

17. कथित विनियमन के विनियम 44 में, उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो इस प्रकार है:--

“(3) चार वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, अधिकारी दो वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार अपने निवासस्थान (डोमिसाइल) की यात्रा के लिए एलटीसी सुविधा का पात्र होगा:

बशर्ते कि वह दो वर्षों के एक ब्लॉक में अपने निवासस्थान तथा दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान की सबसे कम दूरी के मार्ग से यात्रा कर सकता है:

बशर्ते यह भी कि दिनांक 01 जून 2015 से, विकल्पतः, अधिकारी चार वर्ष या दो वर्ष के ब्लॉक में अपना विकल्प देकर, जो भी मामला हो, अपनी एलटीसी को

अभ्यर्पित तथा नकदीकरण करा सकता है (निवास स्थान की यात्रा के अतिरिक्त), ऐसी स्थिति में, कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड / वेतनमान I तथा मध्यम प्रबंधन ग्रेड/ वेतनमान II एवं III के अधिकारी 4,500 किलोमीटर (एक तरफ) की दूरी तक तथा उच्च प्रबंधन ग्रेड वेतनमान IV तथा इससे ऊपर के अधिकारी 5,500 किलोमीटर तक (एक तरफ), रेल की यात्रा श्रेणी, जिसके लिए वे पात्र हैं, के कुल किराए की राशि प्राप्त कर सकते हैं:

दिनांक 01 जून 2015 से एलटीसी के नकदीकरण का विकल्प देने वाला अधिकारी, जिस ब्लॉक में यह नकदीकरण किया गया है, उसमें अपने व अपने परिवार के लिए केवल एक बार दावा कर सकता है। एलटीसी लेते समय अर्जित अवकाश के नकदीकरण कराने की सुविधा, एलटीसी के नकदीकरण के दौरान भी उपलब्ध रहेगी।

(3ए) वह माध्यम तथा श्रेणी जिसके द्वारा अधिकारी एलटीसी ले रहा है सामान्यतः उसके समान होगी जिसके लिए अधिकारी स्थानांतरण होने पर सामान्य यात्रा के लिए पात्र है तथा अधिकारी द्वारा ली जाने वाली एलटीसी के लिए अन्य नियम व शर्तें निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों पर आधारित होंगी:

दिनांक 1 मई, 2010 से, एलटीसी लेने के दौरान कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान I अधिकारी सबसे कम किराया वाले इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने के लिए पात्र होंगे, जिसमें प्रतिपूर्ति, वास्तविक किराया या ट्रेन से एसी प्रथम श्रेणी से तय की गई दूरी का किराया, जो भी कम हो, देय होगा। जहां दूरी 1000 किलोमीटर से कम है, वहां एलटीसी लेते समय मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान II और मध्य प्रबंधन ग्रेड वेतनमान III के अधिकारी पर वही नियम लागू होंगे।"

18. उक्त विनियम की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“अनुसूची”

[विनियम 23(2) देखें]

1 नवंबर, 2012 से प्रभावी होकर अधिकारी, निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट के अनुसार विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए पात्र होंगे, जब तक कि ये भत्ते पूरी तरह से या आंशिक रूप से वापस नहीं लिए जाते या संशोधित नहीं किए जाते, जो इस प्रकार हैं:-

तालिका

| क्र.सं. | क्षेत्र | भत्ते (रुपए में) | |
|---------|---|----------------------|------------------------|
| | | रु.24,000 से कम वेतन | रु.24,000 से अधिक वेतन |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | मिजोरम | | |
| (क) | मिजोरम का चिम्पतुईपुरई जिला तथा मिजोरम के लुंगलेई जिले के लुंगलेई शहर से 25 किमी से अधिक दूरी वाले क्षेत्र | 2000 | 2600 |
| (ख) | पूरे लुंगलेई जिले में, लुंगलेई शहर से 25 किमी से दूर वाले क्षेत्रों को छोड़कर | 1600 | 2100 |
| (ग) | पूरा आइजोल जिला | 1200 | 1500 |
| 2. | नागालैंड | 1600 | 2100 |
| 3. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ए. उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, निकोबार और नारकोण्डम द्वीप समूह बी. साऊथ अंडमान (पोर्टब्लेयर सहित) | 2000 | 2600 |
| | | 1600 | 2100 |
| 4. | सिक्किम | 2000 | 2600 |
| 5. | लक्षद्वीप समूह | 2000 | 2600 |
| 6. | असम | 320 | 400 |
| 7. | मेघालय | 320 | 400 |
| 8. | त्रिपुरा ए. त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र बी. कठिन क्षेत्रों को छोड़कर पूरा त्रिपुरा. | 1600 | 2100 |
| | | 1200 | 1500 |
| 9. | मणिपुर | 1200 | 1500 |
| 10. | अरुणाचल प्रदेश ए. अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र बी. कठिन क्षेत्रों के अलावा पूरा अरुणाचल प्रदेश. | 2000 | 2600 |
| | | 1600 | 2100 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | | |
| | ए. कठुआ जिला : नियाबतबानी, लोही, मलहार और मछोदी | 2000 | 2600 |
| | बी. उधमपुर जिला: (i) डूडू बसंतगढ़, लेंडर भामग इलाका, भाग 2(बी) में शामिल को छोड़कर | 2000 | 2600 |
| | (ii) माहोर तहसील में कम्बन की ओर से गोयल तथा केअसी की ओर से अरनास तक के क्षेत्र. | 1600 | 2100 |

| | | | |
|-----|--|------|------|
| | सी. डोडा जिला: किश्तवार तहसील में पडुर तथा नियाबत नौगाम के इलाके | 2000 | 2600 |
| | डी. लेह जिला: जिले के सभी स्थान | 2000 | 2600 |
| | ई. बारामुला जिला i. समस्त गुरेज-नियाबत, तंगडार सब डिविजन तथा केरन इलाका | 2000 | 2600 |
| | ii. माछिल | 1600 | 2100 |
| | एफ. पुंछ और राजौरी जिला: पुंछ तथा राजौरी शहर एवं दो जिलों के सुन्दरवानी और अन्य शहरी क्षेत्र को छोड़कर पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र | 1200 | 1500 |
| | जी. उपरोक्त (ए) से (एफ) के अलावा अन्य क्षेत्र जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी. से कम दूरी पर हैं या वह क्षेत्र जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा उनके स्टाफ के लिए बॉर्डर भत्ते के रूप में घोषित किया जाता है। | 1200 | 1500 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | | |
| | चंबा जिला | | |
| | ए. पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायत : बड़गांव, बाजोल, देवल कुगती, नयागाम और टुण्डा, गांव: ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहटा का कनारसी | 2000 | 2600 |
| | बी. भारमौर तहसील, उक्त (ए) में शामिल पंचायतों और गांव को छोड़कर | 1600 | 2100 |
| | सी. भातियात तहसील में झंडरू पंचायत, चुरह तहसील, डलहौजी शहर (बनीखेत खास सहित) | 1200 | 1500 |
| | 2. किन्नौर जिला: | | |
| | (i) असरंग, चितकुल और हंगो कूनो/चारंग पंचायत, छोटा खंबा, नाथपा, और रूपी की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए 15/20 क्षेत्र, पूह उप संभाग, उपर्युक्त निर्धारित पंचायत क्षेत्र को छोड़कर. | 2000 | 2600 |
| | (ii) उपरोक्त (i) में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर समग्र जिला | 1600 | 2100 |
| | 3. कुल्लु जिला: | | |
| | (i) खरगा, कुशवार और सरगा की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए निरमंद तहसील के 15/20 क्षेत्र | 2000 | 2600 |
| | (ii) बाहरी-सेरज (निरमांद तहसील के जकात खाना और बुराउ गांवों को छोड़कर) और संपूर्ण जिला (बाहरी सेराज क्षेत्र और पंद्रबीस के परगना को छोड़कर परंतु निरमंद तहसील के जकात खाना और बुराउ को सम्मिलित करते हुए) | 1200 | 1500 |
| | 4. लाहौल और स्पीति जिला : लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र | 2000 | 2600 |
| | 5. शिमला जिला: | | |
| | (i) कूट, लबाना-सदाना, सरपरा और चांदी-ब्रांदा की पंचायतों को सम्मिलित करते हुए रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र | 2000 | 2600 |
| | (ii) डोरा-कावर तहसील, रामपुर में दरकली की ग्राम पंचायत, काशपथ तहसील और मुनीश, परगना सराहन की घोरी चाईबीस | 1600 | 2100 |
| | (iii) चौपाल तहसील और घोरिस, परगना सराहन के घोरिस, पंजगाँव, पतसनऊ, नौबीस और तीन कोठी, तकलेश क्षेत्र की देवती ग्राम पंचायत, परगना बाराबीस, रामपुर तहसील की परगना रामपुर के कस्बा रामपुर और घोरी नोग, शिमला टाउन और उसके उप-नगर (धल्ली, जतोग, कसुम्पति, माशोबरा, तारादेवी तथा तूतू) | 1200 | 1500 |

| | | | |
|-----|--|------|-------|
| | 6. कांगड़ा जिला: i) बड़ा भांगल और छोटा भांगल के क्षेत्र ii) कांगड़ा जिले की धर्मशाला टाउन और नगरपालिका सीमा के बाहर परंतु धर्मशाला टाउन में सम्मिलित स्थित निम्न कार्यालय: महिला आईटीआई, दारी, मिक्ैनिकल वर्कशॉप, रामनगर, बाल कल्याण और नगर एवं ग्राम योजना कार्यालय, सकोह, लोवर सकोह का सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, डुगियार, एचआरटीसी वर्कशॉप, सुधेर, जोनल मलेरिया कार्यालय, दारी, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन कार्यालय, शामनगर, टी फैक्टरी, दारी, आईपीएच उपविभाग, दान, सेटलमेंट कार्यालय, शामनगर, हिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर। एचपीकेवीवी कैम्पस, पालमपुर सहित कांगड़ा जिले का पालमपुर टाउन, और नगरपालिका सीमा के बाहर परंतु पालमपुर टाउन में सम्मिलित स्थित निम्न कार्यालय: एचपी कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, कैटल डेवेलपमेंट कार्यालय/जर्सी फार्म, बनूरी, सेरिकल्चर कार्यालय/इंडो-जर्मन एग्रीकल्चर वर्कशॉप/एचपीपीडब्ल्यूडी डिविजन,बुंदला, इलेक्ट्रिकल सब डिविजन, लोहना, डीपीओ कॉर्पोरेशन, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एचईएसईई डिविजन, घुग्गर | 1600 | 2100 |
| | 7. मंडी जिला: जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, बागड़ा के थुनाग तहसील की पंचायतें, छतरी, छोटधर, गारागुसाईं, गाढ़ू, गरयास, जांझेली, जरयार, जोहर, कलहानी, कलवन, खोलनाल, लोठ, सिलिबागी, सोमाचन, थाचधर, ताची, थाना, धरमपुर ब्लॉक की पंचायतें-बिंगा, कामलाह, सकलाना, तन्यार और ताराखोला, कारसोग तहसील की पंचायतें बलीधार, बागड़ा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहूदी, मांज, पेखी, सैज, सराहन और तेबान, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें - बोही, बतवाड़ा, धन्यारा, पौड़ा कोठी, सेरी और शोजा | 1200 | 1500 |
| | 8. सिरमौर जिला बानी, बखाली (पाछड़ तहसील), भारोग भेनेरी (पोंटा तहसील), बिड़ला (नाहन तहसील), दिब्बेर (पाछड़ तहसील) और थाना कसोगा (नाहन तहसील) और थांसगिरी ट्रैक्ट की पंचायतें | 1200 | 1500 |
| | 9.सोलन जिला : मंगल पंचायत | 1200 | 1500 |
| | 10. उक्त 1 से 9 मद में न सम्मिलित किए गए हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्र | 320 | 400 |
| 13. | उत्तर प्रदेश: चमोली, पिथौरागढ़ एवं उत्तर काशी जिलों के तहत क्षेत्र: | 2000 | 2600 |
| 14. | उत्तराखण्ड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तर काशी, रुद्रप्रयाग और चांपावत जिलों के तहत क्षेत्र | 2000 | 2600" |

विवरणात्मक ज्ञापन

इन विनियमों में दिए गए पूर्व प्रभाव, बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के लिए वेतन और अन्य भत्ते और अन्य लाभों से संबंधित हैं और अनिवार्य रूप से लाभकारी विधान हैं। अतः इन विनियमों के उक्त प्रावधानों को पूर्व प्रभाव देने से, इस तरह के पूर्व प्रभाव को लागू करने के कारण, किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ए.के.पाठक, महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

[विज्ञापन-III/4/असा./311/2020]

नोट: संशोधन-विनियम भारत के राजपत्र भाग III खंड 4 में निम्नलिखित संशोधनों के माध्यम से प्रकाशित किए गए, यथा:-

| क्रमांक | संख्या | अधिसूचना की तारीख | सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख |
|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1. | पी:आईआर:एसआरसी:2070 | 30.11.1988 | 17.12.1988 |
| 2. | पी:आईआर:वीएनके:1945 | 22.2.1990 | 17.3.1990 |
| 3. | निरंक | 23.2.1991 | 23.2.1991 |
| 4. | पी:आईआर:वीएनके:37 | 9.4.1992 | 2.5.1992 |
| 5. | पी:आईआर:एसएच:1267 | 19.3.1997 | 17.5.1997 |
| 6. | पी:आईडी:एसएच:0518 | 21.7.1997 | 23.8.1997 |
| 7. | पी:आईआर:एसएच:031 | 9.4.1999 | 22.5.1999 |
| 8. | पी:आईआर:एसएच:1890 | 3.3.2000 | 1.4.2000 |
| 9. | पी:आईआर:एसएच:1174 | 8.12.2000 | 20.1.2001 |
| 10. | पी:आईआर:एसएच:667 | 13.8.2001 | 29.9.2001 |
| 11. | एचओ:पी:आईआर:आरएस:1843 | 29.3.2003 | 24.5.2003 |
| 12. | पी:आईआर:आरएस:169 | 29.4.2006 | 28.6.2006 |
| 13. | पी:आईआर:आरएस:1111 | 1.12.2006 | 16.12.2006 |
| 14. | बीओआई:एचओ:एचआर: आईआर/एमएसएस/एल-234 | 12.9.2017 | 3.2.2018 |

BANK OF INDIA

(Human Resources Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2020

F. No. BOI/HO/HR/IR/GS/L-241(E).—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2020.

(2) Save as provided in these regulations, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2012.

2. In the Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(f) “Family” means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty per cent. or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters, and parents wholly dependent on the officer and in the case of a married female officer may include her natural parents or patents-in-law, but not both.

Explanation. — “wholly dependent” shall mean such member of the family having an income not exceeding Rs.10,000 per month and where the wholly dependent family members are parents, the income of any parent or aggregate income of both the parents if exceeds Rs.10,000 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer;’.

3. In regulation 4 of the said regulations, for sub-regulation (6), the following sub-regulations shall be inserted, namely: —

“(6) With effect from the 1st November, 2012, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

- (a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs.76520 - 2120/4 - 85000

Scale VI = Rs.68680 - 1960/4- 76520

- (b) Senior Management Grade

Scale V = Rs.59170 -1650/2 – 62470 -1800/2-66070

Scale IV = Rs.50030 - 1460/4 – 55870 -1650/2– 59170

- (c) Middle Management Grade

Scale III = Rs.42020 - 1310/5 – 48570 - 1460/2- 51490

Scale II = Rs.31705- 1145/1 – 32850 - 1310/10- 45950

- (d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.23700 - 980/7 – 30560 - 1145/2 – 32850- 1310/7- 42020

Explanation.—Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2012 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2012 on stage-to-stage basis, or the corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual.

(7) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4), (5) and (6) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(8) With effect from 1st day of November, 2012, officers shall be paid Special Allowance as under:

Scale I-III = 7.75% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV-V = 10% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI-VII = 11% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(9) On and from the 26th day of October, 2020, the Scale of Pay and Special Allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade shall be as under:

- (A) Top Executive Grade

Scale VIII = Rs.1,03,000 – 2,700/3 – 1,11,100 – 2,800/1 – 1,13,900

- (B) Special Allowance

Scale VIII = 11% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon:

Provided that nothing in this sub-regulation shall be construed as requiring the Bank to have at all times officers serving in this grade.

Note: The Special Allowance referred to in sub-regulations (8) and (9) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.”.

4. In regulation 5 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (6) of regulation 4, on and from the 1st November, 2012, the increments shall be granted subject to the following, namely:—

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (6) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

(b) one year after reaching the maximum in their respective Scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;

(c) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher scale, shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which the first two shall be Rs.1310 each and next two Rs.1460 each;

(d) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b) after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.1460/- each for every three completed years of service and a fourth stagnation increment of Rs.1460/- two years after receipt of third stagnation increment:

Provided that officers who have completed two years or more after receipt of the third stagnation increment shall be granted the fourth stagnation increment with effect from the 1st day of May, 2015;

(e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III(those recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III) shall be eligible for three stagnation increments of Rs.1460/- each for every three completed years of service and fourth stagnation increment of Rs.1460/- to

officers who have completed two years or more after releasing third stagnation increment as on 1st May, 2015 and a fifth stagnation increment of Rs.1460/- two years after receipt of fourth stagnation increment provided that the officers who have completed two years after receipt of the fourth stagnation increment shall be granted the fifth stagnation increment with effect from 1st May, 2015;

(f) officers in Senior Management Grade Scale-IV shall be eligible for one stagnation increment of Rs.1650/- three years after reaching the maximum of scale with effect from 1st May, 2015:

Provided that such increments shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation.—Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

(ii) in sub-regulation(2), in the *Explanation*, after clause (f) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:—

“(g) on and from the 1st day of November, 2012, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below:

TABLE

| (1) | (2) |
|--|---|
| Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers – Part I | Rs. 670/- per month, one year after reaching maximum of the scale. |
| Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers | (i) Rs. 670 per month, one year after reaching maximum of the scale. (ii) Rs.1680 per month two years after reaching maximum of the scale: |

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay”;

(iii) in sub-regulation (3), after the table under clause (e), the following shall be inserted, namely:—

“(f) on and from the 1st November, 2012, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

| Increment Component (Rs.) | Dearness Allowance as on 01.11.2012 on the increment components (Rs.) | Total Fixed Personal Pay payable where Bank's accommodation is provided (Rs.) |
|---------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1310 | 143 | 1453 |
| 1460 | 159 | 1619 |
| 1650 | 180 | 1830 |
| 1800 | 196 | 1996 |
| 1960 | 214 | 2174 |
| 2120 | 231 | 2351 |

Note :

“(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the tables in clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of this sub-regulation shall be payable to those officer who are provided with Bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the table under clause (f) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2), (3), (4), (5) and (6) of regulation 4 is earned.

(iii) Only Officers who were in the service of the Bank on or before 1st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay they are placed.

(iv) On and from the 1st November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from that date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st November, 2000.

(v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) of this sub-regulation shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e) or (f) above, one year after reaching the maximum of the scale.

(g) On and from the 26th day of October, 2020, other things being equal, the fixed personal pay together with House Rent Allowance, if any, for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade Scale-VIII shall be at the rates given in the table below and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

| Increment Component (Rs.) | Dearness Allowance on the increment components (Rs.) | Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.) |
|------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 2800 | 305 | 3105" |

5. For regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely:—

“7. Categorisation.—(1) On and from the 26th day of October, 2020 and subject to the provision of regulation 6, the various posts of officers in the Bank shall be categorized as specified in the table below:

TABLE

| POSTS | GRADE or SCALE IN WHICH PLACED |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Chief General Manager | Top Executive Grade Scale-VIII |
| General Manager | Top Executive Grade Scale-VII |
| Deputy General Manager | Top Executive Grade Scale-VI |
| Assistant General Manager | Senior Management Grade Scale-V |
| Chief Manager | Senior Management Grade Scale-IV |
| Senior Manager | Middle Management Grade Scale-III |
| Manager | Middle Management Grade Scale-II |
| Officer | Junior Management Grade Scale-I |

(2) If any difficulty or anomaly arises out of the above categorization, the same shall be referred to a Committee consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer and such other person or persons as may be appointed by the Central Government for this purpose, for its decision.”.

6. In regulation 21 of the said regulations, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(6) On and from the 1st day of November, 2012, Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.10% of pay.

Explanation.—For the purposes of this sub-regulation,—

- “pay” for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments plus Special Allowance;
- Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f) and (g) to the explanation in sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for Dearness Allowance.”.

7. In regulation 22 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st day of November, 2012,—

- where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:—

TABLE

| Place of work | House Rent Allowance |
|--|----------------------|
| (1) | (2) |
| (i) Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A | 9.0% of Pay |
| (ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa | 8.0% of Pay |
| (iii) Other places | 7.0% of Pay |

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.75 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above Table.

NOTE: The claims of officers for House rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent. of the House Rent Allowance as hitherto.”;

(ii) sub-regulation (2) shall be omitted.”.

8. In regulation 23 of the said regulations,—

(A) for sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st day of November, 2012, if an Officer is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable:—

| Places | Rate |
|--|---|
| (1) | (2) |
| (i) Places in Area 1 and in the State of Goa | 4% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.870 per month |
| (ii) Places with population of five lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair. | 3% of Basic Pay subject to a maximum of Rs.600 per month. |

- (2) On and from the 1st day of November, 2012, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (3) On and from the 1st day of November, 2012, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.400 per month or Rs.350 per month according to the classification of area as Group A or Group B respectively.
- (4) On and from the 1st day of June, 2015, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.1100 per month from the date he reports to the latter place up to the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
- (5) On and from the 1st day of June, 2015, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum of Rs.4000 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where he is deputed to an organization which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs.2000 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs.2000 per month.”;

(B) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(8) On and from the 1st day of November 2012, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.200 per month.”;

(C) in sub-regulation (10),—

- (a) for the figures, letters and words “1st day of November 2007”, the figures, letters and words “1st day of November, 2012” shall be substituted;
- (b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

“TABLE

| Place | Rate |
|--|---|
| (1) | (2) |
| (i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town | 2% of pay subject to a maximum of Rs.750 per month |
| (ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres | 2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1000 per month |
| (iii) Place with an altitude of 3000 metres and above | 5% of pay subject to a maximum of Rs.2000 per month” |

9. In regulation 24 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st day of November 2012, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:—

TABLE

| Grade | Maximum limit of reimbursement |
|---|---|
| (1) | (2) |
| Junior Management and Middle Management Grade | Rs. 8000 per annum or the amount incurred whichever is less |
| Senior Management and Top Executive Grade | Rs. 9050 per annum or the amount incurred whichever is less |

Note:- (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or

(ii) for the year 2012, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2012 and December, 2012.

(1A) An Officer shall be eligible for Medical Insurance facility for self and his family, as per terms and conditions specified by the Board.”.

10. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2012, a sum equal to 0.75 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.15 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

11. In regulation 33 of the said regulations, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(4) On and from 1st June, 2015, Privilege Leave may be accumulated up to not more than 270 days except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that encashment of Privilege Leave shall be restricted up to a maximum of 240 days:

Provided further that an officer desiring to avail Privilege Leave shall ordinarily give not less than 15 days' notice of his intention to avail such leave.”.

12. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

“(4) On and from 1st June, 2015, Special Sick Leave up to 30 days may be granted to an officer once during his entire period of service for donation of kidney or organ.”.

13. In regulation 36 of the said regulations, for sub-regulation (2) and (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) With effect from the 25th May 2015, Leave may also be granted once during service to a childless female officer for legally adopting a child who is below one year of age for a maximum period of six months subject to the following terms and conditions:—

- (i) leave will be granted for adoption of only one child;
- (ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the officer employee should produce the adoption deed to the Bank for sanctioning such leave;
- (iii) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy; and
- (iv) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.

(3) With effect from the 25th day of May 2015, within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of hysterectomy up to a maximum of 60 days.

(4) Maternity leave, which shall be on substantive pay, shall be granted to a female officer for a period not exceeding 6 months on any one occasion and 12 months during the entire period of her service:

Provided that within the overall period of 12 months, leave may also be granted in case of miscarriage or abortion or Medical Termination of Pregnancy.

(5) With effect from 1st June 2015, male officers employees having up to two surviving children shall be eligible for 15 days paternity leave during his wife's confinement which may be combined with any other kind of leave except casual leave:

Provided that the leave shall be applied up to 15 days before or up to 6 months from the date of delivery of the child.”.

14. For regulation 38 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

“(38) Lapse of Leave.—Save as provided below, all leave to the credit of an officer shall lapse on resignation, retirement, death, discharge, dismissal or termination:

Provided that where an officer retires from the Bank’s service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, not exceeding 240 days of privilege leave that he had accumulated:

Provided further that where an officer has been compulsorily retired including as a measure of punishment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to emoluments of any period, not exceeding 240 days of privilege leave that he had accumulated:

Provided also that where an officer dies while in service, there shall be payable to his legal representatives, a sum equivalent to the emoluments for the period not exceeding 240 days of privilege leave to his credit as on the date of his death:

Provided also that where an officer resigns from service on or after 1st April, 2001 after giving due notice as in sub-regulation (2) of regulation 20, he may be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of 120 days.”.

15. In regulation 41 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from 1st day of November 2012, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:—

(a) an Officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st class or AC 2- tier sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(b) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st class or AC 2-tier sleeper by train:

Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 Kilometers;

Provided further that he may travel by air (economy class) even for shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st class by train or by air (economy class);

(d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 Kilometers:

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car;

(e) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank’s vehicle;

(f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail.”;

(ii) in sub-regulation (4), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(a) On and from the 1st June, 2015, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the Table below shall be entitled to per

diem Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:—

TABLE

| Grade/Scales of Officers | Metro (Rs.) | Major 'A' Class Cities (Rs.) | Area-1 (Rs.) | Other Places (Rs.) |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------|
| (1) | (2) | | | |
| Officers in Scale VI and above | 1800 | 1300 | 1100 | 950 |
| Officers in Scale IV and V | 1500 | 1300 | 1100 | 950 |
| Officers in Scale I, II and III | 1300 | 1100 | 950 | 800 |

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.—For the purposes of computing Halting Allowance “per diem” shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.

(b) On and from the 26th day of October, 2020, an Officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the table below may be reimbursed the actual hotel expenses restricting to single room accommodation charges in India Tourism Development Corporation hotels of the corresponding star category set out in column (2) thereof, as under:

TABLE

| GRADES/SCALES OF OFFICERS | ELIGIBILITY TO STAY |
|----------------------------------|----------------------------|
| (1) | (2) |
| Scale-VI, VII and VIII | 4 Star Hotel |
| Scale-IV and V | 3 Star Hotel |
| Scale-II and III | 2 Star Hotel (Non-AC) |
| Scale-I | 1 Star Hotel (Non-AC) |

Provided that the Board may specify the additional limit to be reimbursed in excess of the limits specified above, in accordance with the guidelines of the Central Government.”

16. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3) On and from the 1st day of June, 2015, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:—

TABLE

| Grade or Scale | Amount |
|--|------------|
| (1) | (2) |
| Top Executive and Senior Management Grade (Officers in Scale IV and above) | Rs.20,000 |
| Middle Management and Junior Management Grade (Officers up to Scale III) | Rs.15,000” |

17. In regulation 44 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(3) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that, he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route:

Provided further that with effect from 1st June, 2015, alternatively, an officer by exercising an option any time during a 4 year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 4,500 kilometers (one-way) for officers in JMG-Scale-I and MMG-Scale II and III and 5,500 kilometers (one-way) for officers in SMG-Scale IV and above:

Provided also that with effect from 1st June, 2015, an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3A) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from 1st May, 2010, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled whichever is less. The same rules shall apply when an Officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kilometers.”.

18. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE

[See regulation 23(2)]

With effect from the 1st day of November, 2012, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:—

TABLE

| Sl.No. | Area | Allowances (in rupees) | |
|--------|---|-------------------------|------------------------|
| | | Pay below Rs. 24,000 | Pay above Rs.24,000 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Mizoram | | |
| | (a) Chimpitpui District and areas beyond 25 kilometers from Lunglei Town in Lunglei District. | 2000 | 2600 |
| | (b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kilometers from Lunglei town | 1600 | 2100 |
| | (c) Entire Aizawl District | 1200 | 1500 |
| 2. | Nagaland | 1600 | 2100 |
| 3. | Andaman and Nicobar Islands | | |
| | (a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands | 2000 | 2600 |
| | (b) South Andaman(including Port Blair) | 1600 | 2100 |
| 4. | Sikkim | 2000 | 2600 |
| 5. | Lakshadweep Islands | 2000 | 2600 |

| | | | |
|--|--|------|------|
| | c) Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper). | 1200 | 1500 |
| | 2. Kinnaur District: | | |
| | (i) Asrang, Chitkul and Hango Kuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, PooH Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above. | 2000 | 2600 |
| | (ii) Entire District other than Areas included in (i) above. | 1600 | 2100 |
| | 3. Kullu District: | | |
| | (i) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga | 2000 | 2600 |
| | (ii) Outer-Saraj(excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand. | 1200 | 1500 |
| | 4. Lahaul and Spiti District: | | |
| | Entire area of Lahaul and Spiti | 2000 | 2600 |
| | 5. Shimla District: | | |
| | (i) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi- Branda. | 2000 | 2600 |
| | (ii) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan. | 1600 | 2100 |
| | (iii) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon ,Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu). | 1200 | 1500 |
| | 6. Kangra District: | | |
| | (i) Areas of Bara Bhungal and Chhota Bhungal | 1600 | 2100 |
| | (ii) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town- Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H- Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town -H.P. | 1200 | 1500 |

| | | | |
|-----|---|------|-------|
| | Krishi Vishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar. | | |
| | 7. Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil- of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gadoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block-Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil-Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil-Bohi, Batwara, Dhanyara, PauraKothi, Seri and Shoja. | 1200 | 1500 |
| | 8. Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali, (Pachhad Tehsil), Bhargobheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract | 1200 | 1500 |
| | 9. Solan District Mangal Panchayat | 1200 | 1500 |
| | 10. Remaining areas of Himachal Pradesh not included in items (1) to (9) above. | 320 | 400 |
| 13. | Uttar Pradesh Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts | 2000 | 2600 |
| 14. | Uttarakhand Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts. | 2000 | 2600” |

EXPLANATORY MEMORANDUM

The retrospective effect given in these regulations relate to the pay and other allowances and benefits to the officers of the Bank of India and are essentially beneficial legislation. Hence, giving retrospective effect to the said provisions of these regulations will not adversely affect the interest of any person as a result of such retrospective application.

A. K. PATHAK, General Manager (HR)

[ADVT.-III/4/Exty./311/2020]

Note : The amendment regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* following notifications, namely:—

| Serial No. | Number | Date of Notification | Date when published in Official Gazette |
|------------|------------------------|----------------------|---|
| 1. | P:IR:SRC:2070 | 30.11.1988 | 17.12.1988 |
| 2. | P:IR:VNK:1945 | 22.2.1990 | 17.3.1990 |
| 3. | Nil | 23.2.1991 | 23.2.1991 |
| 4. | P:IR:VNK:37 | 9.4.1992 | 2.5.1992 |
| 5. | P:IR:SAH:1267 | 19.3.1997 | 17.5.1997 |
| 6. | P:ID:SAH:0518 | 21.7.1997 | 23.8.1997 |
| 7. | P:IR:SAH:031 | 9.4.1999 | 22.5.1999 |
| 8. | P:IR:SAH:1890 | 3.3.2000 | 1.4.2000 |
| 9. | P:IR:SAH:1174 | 8.12.2000 | 20.1.2001 |
| 10. | P:IR:SAH:667 | 13.8.2001 | 29.9.2001 |
| 11. | HO:P:IR:RS:1843 | 29.3.2003 | 24.5.2003 |
| 12. | P:IR:RS:169 | 29.4.2006 | 28.6.2006 |
| 13. | P:IR:RS:1111 | 1.12.2006 | 16.12.2006 |
| 14. | BOI:HO:HR:IR:MSS/L-234 | 12.9.2017 | 3.2.2018 |